उत्तर प्रदेश शासन,
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- 209 /71-4099/89/2026
लखनऊः दिनांक 01.09.2026

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4 तथा उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 की धारा-3(1) में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों के शुल्क निर्धारण हेतु प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 की विज्ञप्ति संख्या-I/666507/2024-71-4099/34/2021, दिनांक 12.06.2024 द्वारा फीस नियमन के लिए समिति का गठन किया गया है।

2- शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु स्कूल आफ मेडिकल साइंसेज़ एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोएडा (शारदा विश्वविद्यालय) में एम0बी0बी0एस0 पाठयक्रम के शुल्क निर्धारण के संबंध में फीस नियमन समिति की बैठक दिनांक 14.08.2026 को सम्पन्न हुई। सम्पन्न फीस नियमन समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा 10(2) में विहित व्यवस्था के अंतर्गत उक्त मेडिकल कालेज को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उनकी सुनवाई की गयी।

3- समिति द्वारा शुल्क निर्धारण के संबंध में संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/अभिलेखों के आधार पर स्कूल आफ मेडिकल साइंसेज़ एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोएडा (शारदा विश्वविद्यालय) में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम का शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु निम्नवत शुल्क को अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

शैक्षणिक सत्र	शिक्षण शुल्क (रू0)
2026-27	16,25,910.00

4- शेष शुल्क (छात्रावास शुल्क, सिक्योरिटी डिपाजिट (वापसी योग्य) एवं विविध शुल्क) शैक्षणिक सत्र 2025-26 की भाँति यथावत लागू रहेगें।

आज्ञा से,
हरीश कुमार
उप सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री/मा0 राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 ।
4. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, स्कूल आफ मेडिकल साइंसेज़ एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोएडा (शारदा विश्वविद्यालय)।
5. निदेशक, मुद्रण एवं प्रकाशन, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति को असाधारण गजट के भाग-4, खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर 50 प्रतियां चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(हरीश कुमार)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

संख्या-142 / 71-4099/91/2026

लखनऊः दिनांक 01.09.2026

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4 तथा उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 की धारा-3(1) में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों के शुल्क निर्धारण हेतु प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 की विज्ञप्ति संख्या-I/666507/2024-71-4099/34/2021, दिनांक 12.06.2024 द्वारा फीस नियमन के लिए समिति का गठन किया गया है।

2- शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु स्कूल ऑफ डेण्टल साइसेंज, ग्रेटर नोयडा (शारदा विश्वविद्यालय) में बी0डी0एस0 पाठयक्रम के शुल्क निर्धारण के संबंध में फीस नियमन समिति की बैठक दिनांक 14.08.2026 को सम्पन्न हुई। सम्पन्न फीस नियमन समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा 10(2) में विहित व्यवस्था के अंतर्गत उक्त डेण्टल कालेज को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उनकी सुनवाई की गयी।

3- समिति द्वारा शुल्क निर्धारण के संबंध में संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/अभिलेखों के आधार पर स्कूल ऑफ डेण्टल साइसेंज, ग्रेटर नोयडा (शारदा विश्वविद्यालय) में बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम का शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु निम्नवत शुल्क को अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

शैक्षणिक सत्र	शिक्षण शुल्क (रू0)
2026-27	3,85,000.00

4- शेष शुल्क (छात्रावास शुल्क, सिक्योरिटी डिपाजिट (वापसी योग्य) एवं विविध शुल्क) शैक्षणिक सत्र 2025-26 की भाँति यथावत लागू रहेगें।

आज्ञा से,

हरीश कुमार
उप सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री/मा0 राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 ।
4. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, स्कूल ऑफ डेण्टल साइसेंज, ग्रेटर नोयडा (शारदा विश्वविद्यालय)।
5. निदेशक, मुद्रण एवं प्रकाशन, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति को असाधारण गजट के भाग-4, खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर 50 प्रतियां चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- 172 / 71-4099/91/2026
लखनऊः दिनांक 01.09.2026

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4 तथा उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 की धारा-3(1) में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों के शुल्क निर्धारण हेतु प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 की विज्ञप्ति संख्या-।/666507/2024-71-4099/34/2021, दिनांक 12.06.2024 द्वारा फीस नियमन के लिए समिति का गठन किया गया है।

2- शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु स्कूल ऑफ डेण्टल साइसेंज, ग्रेटर नोयडा (शारदा विश्वविद्यालय) में एम0डी0एस0 पाठयक्रम के शुल्क निर्धारण के संबंध में फीस नियमन समिति की बैठक दिनांक 14.08.2026 को सम्पन्न हुई। सम्पन्न फीस नियमन समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा 10(2) में विहित व्यवस्था के अंतर्गत उक्त डेण्टल कालेज को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उनकी सुनवाई की गयी।

3- समिति द्वारा शुल्क निर्धारण के संबंध में संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/अभिलेखों के आधार पर स्कूल ऑफ डेण्टल साइसेंज, ग्रेटर नोयडा (शारदा विश्वविद्यालय) में एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम का शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु निम्नवत शुल्क को अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

शैक्षणिक सत्र	शिक्षण शुल्क (रू0)
2026-27	9,63,500.00

4- शेष शुल्क (छात्रावास शुल्क, सिक्योरिटी डिपाजिट (वापसी योग्य) एवं विविध शुल्क) शैक्षणिक सत्र 2025-26 की भाँति यथावत लागू रहेगें।

आज्ञा से,

हरीश कुमार
उप सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री/मा0 राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 ।
4. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, स्कूल ऑफ डेण्टल साइसेंज, ग्रेटर नोयडा (शारदा विश्वविद्यालय)।
5. निदेशक, मुद्रण एवं प्रकाशन, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति को असाधारण गजट के भाग-4, खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर 50 प्रतियां चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
उप सचिव।